रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12072021-228241
CG-DL-E-12072021-228241

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2578] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 12, 2021/आषाढ़ 21, 1943
No. 2578] NEW DELHI, MONDAY, JULY 12, 2021/ASHADHA 21, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2021

सं. 13/2015–2020

विषयः आईटीसी (एचएस), 2017 अनुसूचो–I (आयात नीति) के अध्याय 48 की नीतिगत शर्त में संशोधन।

का.आ. 2783(अ).—समय–समय पर यथा–संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 और धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतदद्वारा आईटीसी (एचएस) कोड 2017, अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 48 की निम्नलिखित नीतिगत शर्तों को निम्नानुसार संशोधित करती हैः

मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
1 (I) भारत सरकार को नोट प्रिंटिंग प्रेसों नामतः नोट प्रेस, नासिक, बैंक नोट प्रेस, देवास सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल) की	भारत सरकार को नोट प्रिंटिंग प्रेसों नामतः नोट प्रेस, नासिक, बैंक नोट प्रेस, देवास सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल) की दोनों इकाईयों, भारतीय रिर्जव बैंक नोट मुद्रा **प्राइवेट** लि.

दोनों इकाईयों, भारतीय रिर्जव बैंक नोट मुद्रा लि. (बीआरबीएनएमपीएल) की मैसूर, सल्बोनी और बंगलूरू की इकाईयों द्वारा वाटर मार्क बैंक नोट के कागज का आयात बिना किसी आयात लाइसेंस के किया जा सकता है बशर्ते इकाईयों के प्रमुख द्वारा वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के साथ एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।	(बीआरबीएनएमपीएल) की मैसूर, सल्बोनी और बंगलूरू की इकाईयों द्वारा वाटर मार्क बैंक नोट के कागज का आयात बिना किसी आयात लाइसेंस के किया जा सकता है बशर्ते इकाईयों के प्रमुख द्वारा वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के साथ एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
(II) आयातक वित्त मंत्रालय को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च को समाप्त तिमाहियों हेतु संबंधित तिमाही के समाप्त होने के 30 दिनों के अंदर उसके द्वारा किए गए आयात की मात्रा और मूल्य के तिमाही विवरणियां प्रस्तुत करेगा।	–हटा दिया गया–

2. **अधिसूचना का प्रभावः** आईटीसी एचएस कोड 2017, अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 48 की नीतिगत शर्त I(I) में यथा–उल्लिखित बीआरबीएनएमपीएल के नाम को भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड के रूप में पढ़े जाने हेतु ठीक किया जाता है। आईटीसी (एचएस) 2017 अनुसूची– I (आयात नीति) के अध्याय–48 की नीतिगत शर्त I (II) को अनुपालन बोझ को कम करने हेतु उठाए गए कदम के रूप में हटाया जाता है।

[फा.सं. 01/89/180/37/एएम–20/पीसी–2 (ए)/भाग– I/ई 28076]

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2021

No. 13 /2015-2020

Subject: Amendment of Policy conditions of Chapter-48 of ITC (HS), 2017, Schedule-I (Import Policy).

S.O. 2783(E):—In exercise of powers conferred by Section 3 and Section 5 of FT (D&R) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the following Policy Conditions of Chapter-48 of ITC (HS) 2017, Schedule – I (Import Policy) as under :

Existing Policy Condition	Revised Policy Condition
1(I) Import of Water-mark Bank Note Paper may be made, without an import licence, by the Note Printing Presses of the Government of India, namely, Currency Note Press, Nasik; Bank Note Press, Dewas both units of Security Printing and Minting Corporation of India Limited (SPMCIL); Bharatiya Reserve Bank Note Mudran Ltd.(BRBNMPL) units in Mysore, Salboni and Bangalore, subject to submission of a certificate	Import of Water-mark Bank Note Paper may be made, without an import licence, by the Note Printing Presses of the Government of India, namely, Currency Note Press, Nasik; Bank Note Press, Dewas both units of Security Printing and Minting Corporation of India Limited (SPMCIL); Bharatiya Reserve Bank Note Mudran **Private** Ltd.(BRBNMPL) units in Mysore, Salboni and Bangalore, subject to submission of a certificate of import from the Head of units and with actual user condition.

of import from the Head of units and with actual user condition.	
(II) The importer shall furnish quarterly returns of the quantity and value of the imports made by him to the Ministry of Finance for the quarters ending 30th June, 30th September, 31st December and 31st March of each financial year, within 30 days of the close of the quarter concerned.	-Deleted-

Effect of the Notification: The name of BRBNMPL as appearing in Policy Condition 1(I) of Chapter 48 of ITC HS 2017, Schedule-I (Import Policy) is corrected to read as Bharatiya Reserve Bank Note Mudran Private Ltd. Policy Condition 1(II) of Chapter-48 of ITC(HS) 2017, Schedule-I (Import Policy) is deleted as a step towards reducing compliance burden.

This issues with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F.No. 01/89/180/37/AM-20/PC-2[A]./Part-I /E- 28076]

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade
& Ex- officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.07.12 22:30:39 +05'30'